प्रेषक

सुभाष कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

- (i) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (ii) मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- (iii) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- (vi) समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
- (v) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग—3 देहरादून दिनांक12 जून, 2013 विषय:—उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के नियतवेतन का पुनरीक्षण। महोदय,

कृपया पार्श्वांकित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड एक सैनिक/अर्द्ध सैनिक बाहुल्य राज्य है, जहाँ प्रतिवर्ष बडी संख्या में सैनिक सेवानिवृत हो रहे हैं, जिनका पुनर्वासन एवं कल्याण केन्द्र एवं राज्य सरकार के लिए चुनौती है। इसके लिए जहाँ

शांतस0-158/XVII(1)-09(11)/2004 दिनांक 04 अगस्त, 2004 शोंतस0-900; XVII(1)-03/2005-09(102)/05 दिनांक 24 मई, 2005 शांतस0-209/पींग्एस0-स०सैंग्क्ग / 2006 दिनांक 03 मार्च, 2006 शांतस0-77/XVII-3/11-09(17)/2004 दिनांक 23 फरवरी, 2011 निदेशालय, सैनिक कल्याण के माध्यम से विविध कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) अपनी स्थापना (वर्ष 2004) अविध काल से ही पूर्व सैनिकों / अर्द्ध सैनिकों एवं उनके आश्रितों को संविदा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर पुनर्वासन का कार्य करता रहा है।

उपनल, यद्यपि राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है तथापि राज्य सरकार इसके संचालन व्यय में सहायता प्रदान नहीं करती बल्कि उपनल स्वयं अपने संसाधनों से इसकी व्यवस्था करता है। उपनल जहाँ एक ओर पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को मुख्यतः रोजगार उपलब्ध कराता है वहीं दूसरी ओर नियोक्ता (Principal Employer) विभाग की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को देखते हुये संतुलन भी स्थापित करता है अर्थात् उपनल एक आउटसोर्सिंग एजेन्सी के रूप में भी कार्य करते हुये योग्य/अर्ह मानव श्रम/संसाधन भी उपलब्ध कराता है, चाहे सम्बन्धित कार्मिक की पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस क्रम में उपनल अर्द्ध सैनिकों एवं एस०एस०बी० गुरिल्लाओं को भी उनकी योग्यतानुसार तथा नियोक्ता विभाग की आवश्यकता एवं संतुष्टि के परिप्रेक्ष्य में संविदा पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है।



2. उत्तराखण्ड सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों / संस्थानों / निगमों / स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिं0 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये समस्त कार्मिकों का पुनरीक्षित मानदेय नवीन परिशिष्ट—'क' (मुख्य नियोक्ता द्वारा देय) एवं परिशिष्ट—'ख' (कार्मिकों को शुद्ध देय) में उल्लिखित विवरण के अनुसार तत्काल प्रभाव से निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

3. पार्श्वांकित शासनादेशों के आधार पर विभिन्न विभागों में रिक्त विभागीय पदों तथा विभागीय ढाँचे में चिन्हित आउटसोर्सिंग पदों हेतु संविदा पर सुरक्षा/तकनीकी/विविध सेवाओं के लिए उपनल के माध्यम से कार्मिक प्रदान करने की व्यवस्था संचालित है। संविदा पर नियुक्ति के समय पूर्व सैनिक/अर्द्ध सैनिक/वीर नारियाँ/पूर्व सैनिकों की धर्मपत्नी/आश्रित (पुत्र/पुत्री) को वरीयता प्रदान की जाती है। लेकिन विकलांग पूर्व सैनिक/अर्द्ध सैनिकों एवं पूर्व सैनिक/अर्द्ध सैनिकों के विकलांग आश्रितों का सेवायोजन सर्वोच्च प्राथमिकता पर प्रदान किया जाता है।

4. मुख्य नियोक्ता विभाग (Principal Employer) बिना टी.डी.एस. कटौती के, उपनल को पूर्ण राशि का भुगतान करेंगें। उपनल अग्रिम आय कर जमा कराने एवं अन्य सभी प्रकार के अनिवार्य शुल्क (Statutory

due) जमा करने के लिये पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।

5. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० उत्तराखण्ड अधिप्रात्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे संविदा पर कार्मिक प्राप्त कर सकते हैं।

6. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों / संस्थाओं / निगमों आदि के लिये ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय, (DGR) भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होगी।

7. उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुमन्य हो), 03 राष्ट्रीय (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस), 12 दिन आकस्मिक और 15 दिन अर्जित अयकाश सवेतन लागू होंगे, किन्तु यदि कार्यालय अवकाश के दिन भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

8. अवकाश राहत केवल उन्हीं कार्मिकों को देय है जिन्हें उक्त प्रस्तर 07 में उल्लिखित कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है।

9. सर्विस टैक्स की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।

10. उपनल के कार्मिकों को यात्रा / दैनिक भत्ता, कार्यरत विभाग के समतुल्य पद के सापेक्ष होगा। इस

पर किसी प्रकार का सर्विस चार्ज / सर्विस टैक्स देय नहीं होगा।

11. यह आदेश पूर्व में जारी शासनादेश संख्या:— 596/XVII-3/2011—09(17)/2004 दिनांक 18 नवम्बर, 2011 शासनादेश संख्या—589/XVII-3/2012—09(17)/2004 दिनांक 25 सितम्बर, 2012 एवं शासनादेश संख्या—613/XVII-3/2012—09(17)/2004 दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 को अतिक्रमित भी करता है।

12. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—416 / XVII-7 / 2013—14 दिनांक 07 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

628 A

(सुभाष कुमार) मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या:—323 /XVII-3/11—09(17)04 तद्दिनांक प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:— 1. निजी सचिव—मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन। 2. निजी सचिव—मा० मंत्री, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड।

- 3.
- स्टाफ ऑफिसर—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन। समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून। 5.
- आदेश पंजिका। 6.



आज्ञा से, Selowi (भास्करानन्द) सचिव।

शासनादेश संख्या:- 323 /XVII-3/2012-09(17)/2004 दिनांक 12 जून 2013 का नवीन परिशिष्ट 'क' (पैरा 2 के संन्दर्भ में)

उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित नियत वेतन

क्र०सं०	विवरण	अकुशल	अर्द्ध —कुशल	कुशल	उच्च- कुशल	
1	बेसिक वेतन	5608	6655	7540	8540	
2	ग्रेच्यूटी क0सं0 1 का 4.81 प्रतिशत	270	320	363	411	
3	मकान भत्ता क0सं० 1 का 10प्रतिशत	561	666	754	854	
4	कपड़ा भत्ता क0सं0 1 का 10 प्रतिशत	561	666	754	854	
5	बोनस 3500 का 8.33 प्रतिशत	292	292	292	292	
6	कुल योग (क्र0सं0 1 से 5 तक)	7292	8599	9703		
*7	ई०पी०एफ० क्र०सं० १ का १३.६१ प्रतिशत (पुख्य नियोक्ता का अंशदान)	763	885	*	*	
88	ई०एस०आइ० क्र०सं० ६ का ४.७५ प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	347	409	461	521	
9	कुल योग (क्र0सं0 6+7+8)	8402	9893	10164	11472	
\$	आवश्यक कटौतियां :-		E-Day of the			
*10	ई०पी०एफ० क्र०सं० 1 का 13.61 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	763	885	*	*	
\$11	ईं0एस0आइ0 क्र0सं0 ६ का ४.75 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	347	409	461	521	
*12	ई०पी०एफ० क्र०सं० 1 का 12 प्रतिशत (कर्मचारी का अंशदान)	673	780	*	*	
\$13	ई०एस०आइ० क्र०सं० ६ का १.७५ प्रतिशत (कर्मचारी का अंशदान)	128	150	170	192	
14	कुल कटौती	1911	2224	631	713	
15	कर्मचारी को शुद्ध देय (क्र0सं0 9 -14)	6491	7669	9533	10759	
16	अवकाश राहत क्र0सं0 9 का 28.98 %	जहां लागू हो।				
17	सर्विस चार्ज क्र0सं0 9 का 2.5%	210	247	254	287	
18	कुल योग (क्र0 सं0 9+17)	8612	10140	10418	11759	
19	सर्विस टैक्स क्र0सं0 18 का 12.36% (या जो समय-समय पर लागू हो)	1064	1253	1288	1453	
20	मुख्य नियोक्ता द्वारा कुल देय धनराशि	9676	11393	11706	13212	

^{3.} अवकाश राहत केवल उन्हीं कर्मियों को देय हैं जिन्हें शासनादेश के प्रस्तर 7 में उल्लेखित कोई भी अवकाश नहीं दिया जाता है।



^{* 1.} अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणीं के कर्मी जो इस शासनादेश के लागू होने से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं वे भविष्यनिधि के सदस्य हैं वे भविष्यनिधि के सदस्य हैं रहेंगे तथा ऐसे कर्मियों का भविष्य निधि अंश का मुगतान मुख्य नियोक्ता द्वारा रू० 6500/— पर 13.61 प्रतिशत के हिसाह से रू० 885/— तथा कर्मचारी का अंश 12 प्रतिशत के हिसाह से रू० 780/— की जायेगी।

^{2.} अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल वर्ग के नये कर्मी जो इस शासनादेश के लागू होने की तिथि के पश्चात नियुक्त होंगे, को भविष्य निधि की सदस्यता अनिवार्य नहीं है।

परिशिष्ठ "ख" उत्तराखड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित नियत वेतन

क ०सं०	विवरण	अकुशल	अर्द्ध –कुशल	कुशल	उच्च- कुशल	
1	बेसिक वेतन वीडीए सहित	5608	6655	7540	8540	
2	ग्रेच्यूटी क0सं0 1 का 4.81 प्रतिशत	270	320	363	411	
3	मकान भत्ता क0सं0 1 का 10 प्रतिशत	561	666	754	854	
4	कपड़ा मत्ता क0सं० 1 का 10 प्रतिशत	561	666	754	854	
5	बोनस 3500 का 8.33 प्रतिशत	292	292	292	292	
6	कुल योग (क्र0सं0 1 से 5 तक)	7292	8599	9703	10951	
*7	ई०पी०एफ० क्र०सं० १ का १३.६१ प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	763	885	*	*	
&8	ई०एस०आइ० क्र०सं० ६ का ४.७५ प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	347	409	461	521	
9	कुल योग (क्र0सं0 6+7+8)	8402	9893	10164	11472	
	आवश्यक कटौतियां :-					
*10	ई०पी०एफ० क्र०सं० 1 का 13.61 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	763	885	*	*	
\$11	ई०एस०आइ० क्र०सं० ६ का ४.७५ प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	347	409	461	52	
*12	ई०पी०एफ० क्र०सं० 1 का 12 प्रतिशत (कर्मचारी का अंशदान)	673	780	*	*	
\$13	ई०एसऍआइ० क्र०सं० ६ का 1.75 प्रतिशत (कर्मचारी का अंशदान)	128	150	170	192	
14	कुल कटौती	1911	2224	631	71:	
15	कर्मचारी को शुद्ध देय (क्र0सं0 9 -14)	6491	7669	9533	10759	

नोट:-

^{\$} ई०एस०आई० जहां लागू हो । जहां ई०एस०आइ० लागू नहीं है वहां मुख्य नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के " कर्मकार प्रतिकर" (Workman Compensation) की किश्त का मुगतान करना वाघ्य होगा।



^{* 1.} अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणी के कर्मी जो इस शासनादेश के लागू होने से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं वे मविष्यनिधि के सदस्य बने रहेंगे तथा ऐसे कर्मियों का भविष्य निधि अंश का भुगतान मुख्य नियोक्ता द्वारा रू० 6500/— पर 13.61 प्रतिशत के हिसाब से रू० 885/— तथा कर्मचारी का अंश 12 प्रतिशत के हिसाब से रू० 780/— की जायेगी।

^{2.} अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल वर्ग के नये कर्मी जो इस शासनादेश के लागू होने की तिथि के पश्चात नियुक्त होंगे, को भविष्य निधि की सदस्यता अनिवार्य नहीं है।

ईं0एस0आईं0 जहां लागू हो । जहां ईं0एस0आइं0 लागू नहीं है वहां मुख्य नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के " कर्मकार प्रतिकर" (Workman Compensation) की किश्त का मुगतान करना वाध्य होगा।

पदों का वर्गीकरण

- (क) अकुशल । चौकीदार, वेटर, मसालची, परिचर, अनुसेवक ,हाउसकीपर, सफाई कर्मचारी, बेलदार, वार्डबोय, वर्ड आया, टेजीबोन अर्टनी, माली, चतुर्ध श्रेणी और इस प्रकार के लाग करने वाले समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम सं पुकारा जाय।
- (ख) अर्द्धकुशल । मीटर रीडर, वैल्डर, मिस्त्री, कुक, नर्सिंग असिस्टेन्ट, लैब टैक्निशियन, सुरक्षा गार्ड, आदकारी सिपाही, निरीक्षक, स्टोर कीपर, गेज रीडर, स्वागती और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त पद चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय।
- (ग) कुशल । डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, सहायक लेखाकार, रोकड़िया, लिपिक, अनुदेशक, वाहन चालक, सुपरवाइजर, सर्वेक्षक, ड्राफटस्मैन, लेखाकार, फिमिसिस्ट, सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, लाइनमैन, रेडियो आपरेटर, आई०टी०आई प्रशिक्षित और इस प्रकार के काम करने वाले अन्य कर्मी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय ।
- (घ) उच्च कुशल । कनिष्ठ अभियन्ता, निजि सचिव,वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, प्रोग्प्रमर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक सुरक्षा अधिकारी और इस प्रकार के काम कैरने वाले समस्त कर्मी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय।
- (ड) <u>अधिकारी वर्ग</u> । प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी विकित्सा अधिकारी एवं एम0बी०ए० पर्यटन इत्यादि को निम्नलिखित वेतनमान देय होगे :--

संकलित वेतन	सर्विस चार्ज 2.5 %	योग	सर्विस टैक्स 12.36%	उपनल को देय कुल धन
28175.00	704.00	28879.00	3569.00	32448.00

